

इसे सम्बन्धित अगर एलिकाओं की प्राप्तियों में डाल कर पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इस मुद्दा का समर्थन नहीं किया कि केन्द्र को चुंगी समाप्त करने के लिए राज्यों की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए क्योंकि केन्द्र राज्यों को राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दे रहा है और यदि चुंगी समाप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति की गयी तो राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि उतनी ही सीमा तक कम हो जायेगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री के मुद्दा का मुख्य मंत्रियों ने कुल मिला कर समर्थन किया।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चुंगी को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही में अवगत कराएँ।

विवरण

1978-79 में चुंगी से प्राप्त होने वाले राजस्व के अनुमान

राज्य	(करोड़ रुपये)
1. गुजरात	48.00
2. हरियाणा	6.85
3. हिमाचल प्रदेश	1.34
4. जम्मू और कश्मीर	0.94*
5. महाराष्ट्र	111.63
6. मणिपुर	0.24*
7. उड़ीसा	2.61*
8. पंजाब	18.78
9. राजस्थान	16.00
10. उत्तर प्रदेश	30.00
11. पश्चिम बंगाल	23.07
संघशासित क्षेत्र	
1. दिल्ली	15.25
2. पंडिचेरी	0.27

जोड़ 274.98

अहमदाबाद में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिकारियों का सम्मेलन

5345. श्री राम अवध : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में आये उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क अधिकारियों का एक सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ था और इन अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था 5-स्टार होटलों में की गई और इन पर लाखों रुपये खर्च किया गया था; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सनाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जिन सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ताओं के अधिकार-क्षेत्र में भारत के पश्चिमी समुद्र तट और भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ लगे क्षेत्र आते हैं, उनका अहमदाबाद में, 10 जनवरी, 1981 का सम्मेलन हुआ था। उक्त सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन तस्करी निवारक उपाय की समीक्षा करके उनको तेजी से लागू करना था।

सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था किसी फाइव स्टार होटल में नहीं की गई थी, और उक्त अधिकारी, नियमों के अधीन उनका अनुमत्य केवल सामान्य यात्रा और अन्य भत्ते पाने के हकदार थे।

Cases of violation of FERA and Cofeposa

5346. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total number of cases of violation of Foreign Exchange Regulation Act and Conservation of foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act, 1974 brought to the notice of the Government during the last one year;

(b) the names of the persons/firms involved therein and the amount thereof; and

*1977-78 से सम्बद्ध अनुमान।